न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 789/2016

1. मुकेश कुमार
2. राकेश कुमार — पुत्रान स्व. सीताराम
3. रामजीलाल
4. जगदीश — पुत्रान नानगराम
5. लक्ष्मीनारायण

— समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज0।

– अपीलान्ट्स–

बनाम

1. भौंरी देवी पत्नी स्व. गुल्ला उर्फ गुलाब चन्द
2. बबूलाल पुत्र स्व. श्री गुल्ला उर्फ गुलाब चन्द

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज0।
3. श्रीमती रामप्यारी पुत्री स्व. गुल्ला पत्नी श्री कानाराम।
4. श्रीमती लक्ष्मा पुत्री स्व. श्री गुल्ला पत्नी श्री चमन लाल
5. श्रीमती नानगा पुत्री स्व. श्री गुल्ला पत्नी श्री बाबूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बिहारीपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री गुल्ला पत्नी श्री प्रकाश चन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक प्रथम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचित जे.एल.एन मार्ग, जयपुर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री नरेश कुमार जैन अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री रामावतार दिनकर रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 04–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर दिनांक 17.06.2016 मुकदमा संख्या 150/2005 बउनवानी सीताराम बनाम गुल्लाराम प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता स्व. सीताराम व अपीलान्ट संख्या 2 से 4 ने एक वाद बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के पति व पिता के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर के समक्ष मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर में स्थित है। वादीगण/अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि का कम रकबा 0.09 है, जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया है उक्त रकबे की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के वे कानूनन अधिकारी है। वाद पत्र के साथ अपीलान्टस/वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पोडेंटस/प्रतिवादी के विरूद्ध इस

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्टस की उक्त 0.09 हैक्टै0 भूमि जो भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 279, 280/2, 281/2 में अवैध रूप से दर्ज हो गई हैं, का बेचान नहीं करे, विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं करावे। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए तथा अपीलान्टस का प्रथमदृष्टया मामला प्रतीत होना मानते हुए रेस्पोडेंटस को दिनांक 11.07.2005 को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाबन्द कर दिया। जिसके पश्चात् रेस्पोडेंटस संख्या 1, 2 व 9 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके पश्चात् दिनांक 17.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प में अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थियान अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलान्ट की कदीमी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की 0.09 हैक्टै0 भूमि बन्दोबस्त कारकुनान द्वारा अवैध रूप से रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज कर उनका रकबा बढा दिया गया परन्तु वह भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में है। उक्त तथ्य मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों घटकों पर कोई विचार नहीं किया गया है। वादी का वाद घोषणा का होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालना कि वादग्रस्त भूमि उनके नाम अंकित नहीं होकर रिकॉर्ड में अन्य के नाम अंकित है तथा इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना अवैध है। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 9 द्वारा जवाब के साथ कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा न ही उक्त अवैध इन्द्राज के पक्ष में कोई ठोस तर्क ही प्रस्तुत किया गया है इसलिए अपीलाधीन आदेश अस्पष्ट तथा नॉन स्पीकिंग होने से निरस्त योग्य है। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों तत्व बखूबी साबित होने के पश्चात् भी अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो कि अनुचित है तथा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.06.2016 को निरस्त करते हुए अप्रार्थीगण रेस्पोडेंटस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया गया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी में से 0.09 हैक्टै0 भूमि अवैध रूप से कम कर दी गई है। जिसके संबंध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया गया है तथा दस्तावेजात का कोई अवलोकन किये बगैर विधि एवं तथ्यों के विपरीत आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया है अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचन के उपरान्त पारित किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर काउंटर टी. आई. प्रस्तुत की गई थी तथा कथन किया गया था कि प्रार्थीगण अपीलान्टस द्वारा मिथ्या कथन के आधार पर वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीग्ण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है तथा प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलान्ट की अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

राजस्व अपील प्रा. जयपुर

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए पारित निर्णय में उल्लेख किया गया है कि "हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वादग्रस्त आराजी उसके स्वयं के नाम नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अन्य के नाम से है एवं वादी की स्वंय की आराजियात एयरपोर्ट ऑथोरिटी में अवाप्त हो चुकी है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य नहीं पाई जाने के कारण खारिज किया जाता है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश के उक्त विवेचन में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटकों पर कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण वादीगण का वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। घोषणा के वाद में वादग्रस्त भूमि का सरंक्षण किये जाने का दायित्व न्यायालय का होता है। प्रार्थीगण वादीगण के वाद का निर्णय साक्ष्य सबूतों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा परन्तु यदि वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण अन्य व्यक्तियों को कर दिया जाता है तो प्रकरण में वाद बाहुलता बढेगी तथा इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना होगी। अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 280/2, 281/2, 279 का आगामी हस्तान्तरण नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जो वाद की प्रकृति को देखते हुए उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि को सरंक्षित किये जाने एवं वाद बहुलता रोके जाने के उद्देश्य से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

8– अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीनध आदेश दिनांक 17–06–2016 खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 280/2, 281/2, व 279 वाके ग्राम बुद्धसिंहपुरा का हस्तान्तरण दीगर व्यक्ति को नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 04–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर